महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या– ——— / V–2–32(रिट)15 / 2018

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निजी सचिव–महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

आवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक ((सितम्बर, 2018

विषयः– मा0 न्यायालयों दाखिल याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय को सम्बोधित महाधिवक्ता के अर्द्धशासकीय पत्र सं–97II / Sr.P.S. / 2018, दिनांक 02.08.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपेक्षा की गयी है, कि मा0 न्यायालयों में दाखिल वादों पर नैरेटिव, प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल करने को सुविधाजनक एवं समयबद्ध बनाये जाने हेतु प्रशासकीय विभागों से नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 महाधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराये जायें।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग से सम्बन्धित मा0 न्यायालयों में नैरेटिव, प्रतिशपथ पत्र आदि के लिए संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, श्री राजेन्द्र सिंह का मोबाइल नं–9927699080 एवं एवं ई–मेल आई0डी0–rsnagnyal@gmail.com है। कृपया तदनुसार महाधिवक्ता जी के संज्ञान में लाना चाहें।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या– 1305 / V–2–32(रिट)15 / 2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं–210 / XXXV(3) / 2018–03एक(1)2004, दिनांक 16.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, आवास विभाग,उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
7– सचिव, रियल इस्टेट रेगुलेरटी अथारिटी, उत्तराखण्ड।
8– कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।